



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**\*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 09.03.2026, जनपद : आजमगढ़\***

हत्या के दो अलग-अलग अभियोगों में \*15 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक से ₹66,500/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाने वाले 07 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रशस्ति पत्र\* प्रदान कर सम्मानित किया गया

→ आज दिनांक 09 मार्च 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अंतर्गत -

→ थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत \*मु०अ०सं०-87/2002, धारा 147/148/149/302/120बी भादवि में अभियुक्तगण (1) अफजाल पुत्र अब्दुल खालिक (2) अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान (3) दिलशाद पुत्र इरशाद अहमद (4) वसीम अहमद पुत्र मो० नजीर (6) हुसैन अहमद पुत्र इद्रीश निवासीगण हैदराबाद, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ (7) मु० अय्यूब फैजी पुत्र हाजी मु० सुलेमान (8) फहीम अख्तर पुत्र हाजी मु० सुलेमान (9) असरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद (10) मो० याकूब पुत्र हाजी मु० सुलेमान निवासीगण ग्राम दुलहनपारा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ (11) अली जहीर पुत्र अहमद अली (12) इरशाद अहद पुत्र नेसार अहमद निवासीगण ग्राम पुरा सोफी थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़\* को न्यायालय द्वारा \*आजीवन कारावास एवं प्रत्येक से ₹66,500/- के अर्थदण्ड\* से दण्डित कराए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले \*04 पुलिसकर्मियों\* को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

→ थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु०अ०सं०-706/2014, धारा 302 बी भादवि व 3(2)5 Sc/ST Act में अभियुक्तगण (1) रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र रामू राम निवासी ग्राम विनेकी थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़ (2) सरजू राम पुत्र श्यामधारी (3) डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासीगण रोवा थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं (1) व (2) से ₹25,000/- के अर्थदण्ड से एवं (3) को ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 03 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

→ इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्मानित पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई तथा जनपद के अन्य पुलिसकर्मियों को भी ऑपरेशन कन्विकशन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रेरित किया गया।

**\*प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण—\***

1. मुख्य आरक्षी गजानन सरोज — मॉनिटरिंग सेल, जनपद आजमगढ़
2. मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र कुमार यादव — मॉनिटरिंग सेल, जनपद आजमगढ़
3. आरक्षी ओम प्रकाश यादव — मॉनिटरिंग सेल, जनपद आजमगढ़
4. आरक्षी इमरान अंसारी — कोर्ट मोहरीर, जनपद आजमगढ़
5. आरक्षी कुलदीप पटेल — कोर्ट मोहरीर, जनपद आजमगढ़
6. आरक्षी श्री प्रकाश यादव- कोर्ट पैरोकार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
7. आरक्षी तरुण पाण्डेय - कोर्ट पैरोकार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

→ उक्त सम्मान समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरन पाल सिंह की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

**\*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 08.03.2026\***

**\*थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़\***

**अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

**गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।**

**\*गिरफ्तारी का विवरण-\***

दिनांक 08.03.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्रा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर मय हमराह का0 सत्यम सिंह व का0 छोटेलाल गोड़ के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान रोडवेज चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लिये बावन बीघा ग्राउण्ड में मौजूद है तथा किसी का इंतजार कर रहा है और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए \*बावन बीघा ग्राउण्ड गजहड़ा\* के पास मुखबिर की निशानदेही पर दबिश दी गयी, जहां से एक व्यक्ति को \***एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर**\* के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम \***कोमल उर्फ मटरू पुत्र रवि निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष**\* बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-\***

**01. कोमल उर्फ मटरू पुत्र रवि निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष**

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

**01. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़**

**\*आपराधिक इतिहास-\***

- 1. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़**
- 2. मु0अ0सं0 261/2018 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिधारी, आजमगढ़**

**\*बरामदगी का विवरण-\***

पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

**उ0नि0 मुरारी मिश्रा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।**

**का0 सत्यम सिंह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़**

**का0 छोटेलाल गोड़ थाना मुबारकपुर, आजमगढ़**

\*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 08.03.2026\*

\*थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़\*

\*अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार\*

\*गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।\*

\*गिरफ्तारी का विवरण-\*

आज दिनांक 08.03.2026 को उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा मय हमराह हे0का0 त्रिलोकी नाथ सिंह व का0 सब्बीर अहमद के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म-जरायम व पेण्डिंग एहकमात के क्रम में बवाली मोड़ पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गुजरपार पुल के पास खड़ा है, जो अवैध असलहा लिये हुए है तथा किसी का इंतजार कर रहा है और कहीं जाने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए \*गुजरपार पुल\* के पास मुखबिर की निशानदेही पर दबिश दी गयी, जहां से एक व्यक्ति को \*एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर\* के साथ हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम \*अमरजीत पुत्र जोधन चौहान निवासी नरहन भरौली अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता मोसौना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष\* बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

\*नाम पता अभियुक्त-\*

01. अमरजीत पुत्र जोधन चौहान निवासी नरहन भरौली अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, वर्तमान पता मोसौना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष

\*पंजीकृत अभियोग-\*

मु0अ0सं0 89/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

\*बरामदगी का विवरण-\*

पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\*

01. उ0नि0 अश्विनी कुमार मिश्रा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 त्रिलोकी नाथ सिंह थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
03. का0 सब्बीर अहमद थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

**\*प्रेस-नोट\***

**\*थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़\***

**\*युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार तथा एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।\***

**\*घटना का विवरण-\***

दिनांक 06.03.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 05.03.2026 को समय करीब 08:30 बजे रात्रि में वादी की नाबालिग भतीजी को अभियुक्त प्रियांशू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम बृजमनी बुजुर्ग थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। वादी द्वारा काफी खोजबीन करने के पश्चात उक्त लड़की अभियुक्त प्रियांशू के घर ग्राम बृजमनी बुजुर्ग थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में मिली। इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 विजय सिंह गौड़ द्वारा की जा रही है। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)क/87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 1. सरवन पुत्र केशरी 2. शिवा पुत्र अज्ञात निवासीगण ग्राम लहरपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ व एक बालअपचारी का नाम प्रकाश में आया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण-\***

आज दिनांक 08.03.2026 को व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराहीयान क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रियांशू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम बृजमनी बुजुर्ग थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को गोपालपुर पुलिस के पास से धारा 87/137(2)/61(2)क बीएनएस के अपराध का बोध कराकर समय 14:05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मौके से ही तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पंजीकृत मुकदमा का विवरण:-**

01. मु0अ0सं0 64/2026 धारा 87/137(2)/61(2)क बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

01. प्रियांशू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम बृजमनी बुजुर्ग थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष
02. एक बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

01. व0उ0नि0 विजय सिंह गौड़, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
02. का0 विपिन कुमार पाण्डेय, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

**\*प्रेस-नोट\***

**\*थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़\***

**\*दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या के मामले में 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना/इतिहास-\***

दिनांक 23.12.2025 को वादी द्वारा थाना जीयनपुर पर एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि विपक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को दहेज में बड़ी गाड़ी व नगदी की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था तथा मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0

523/2025 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. जगदीश कुमार उर्फ छांगुर पुत्र फूलचन्द (पति) 2. श्रीमती रमावती पत्नी फूलचन्द (सास) 3. फूलचन्द पुत्र अज्ञात (ससुर) 4. संजीव कुमार पुत्र फूलचन्द (देवर) निवासीगण सुभाष चन्द्र बोस नगर वार्ड नं0 02 अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\***

आज दिनांक 09.03.2026 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त 1. जगदीश पुत्र फूलचन्द 2. फूलचन्द पुत्र गनेश 3. संजीव कुमार पुत्र फूलचन्द तथा अभियुक्ता 4. रमावती देवी पत्नी फूलचन्द निवासीगण सुभाष चन्द्र बोस नगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गोगा साव तिराहा अजमतगढ़ से समय करीब 11:15 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-\***

1. जगदीश पुत्र फूलचन्द निवासी सुभाष चन्द्र बोस नगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. फूलचन्द पुत्र गनेश निवासी सुभाष चन्द्र बोस नगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. संजीव कुमार पुत्र फूलचन्द निवासी सुभाष चन्द्र बोस नगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. रमावती देवी पत्नी फूलचन्द निवासी सुभाष चन्द्र बोस नगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

01. मु0अ0सं0 523/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

01. उ0नि0 अजय यादव, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
03. का0 राजेश कुमार यादव, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
04. म0का0 अन्नू यादव, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 08.03.2026\***

**\*थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़\***

**\*अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।\***

**\*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-\***

दिनांक 08.03.2026 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह के संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान अंजान शहीद चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति, जो आदतन अपराधी है, नत्थुपुर जाने वाले मार्ग पर बनी पुलिया पर बैठा है तथा किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में है और उसके पास अवैध तमंचा है। यदि शीघ्र कार्यवाही की जाये तो उसे पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल नत्थुपुर मार्ग पर बनी पुलिया के पास पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को समय करीब 22:05 बजे **\*एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर\*** पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **\*मुस्तकीम उर्फ शरीफ उर्फ सुल्तान उर्फ करिया पुत्र अफफान उर्फ नन्हू निवासी अंजान शहीद**

थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष\* बताया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर  
\*मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट\* पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

01. मुस्तकीम उर्फ शरीफ उर्फ सुल्तान उर्फ करिया पुत्र अप्फान उर्फ नन्हू निवासी अंजान शहीद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 32 वर्ष

**\*बरामदगी का विवरण-\***

01. एक अदद तमंचा .315 बोर
02. एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

01. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*आपराधिक इतिहास-\***

01. मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 11/2023 धारा 380/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
04. मु0अ0सं0 197/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
05. मु0अ0सं0 316/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
06. मु0अ0सं0 31/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
07. मु0अ0सं0 120/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
08. मु0अ0सं0 22/2023 धारा 352/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
09. मु0अ0सं0 237/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 417/2013 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

01. उ0नि0 अजय यादव, चौकी प्रभारी अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 केश्वेन्द्र प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
03. का0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

**\*प्रेस-नोट\***

**\*थाना- कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़\***

**\*युवती के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना का विवरण-\***

दिनांक 19.10.2025 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.10.2025 को समय करीब 05:00 बजे शाम उनकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गयी। काफी तलाश एवं खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 334/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रिंस मिश्रा द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट की

बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ गोलू यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी बैदरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

#### \*गिरफ्तारी का विवरण-\*

आज दिनांक 09.03.2026 को थानाध्यक्ष जयप्रकाश थाना कप्तानगंज मय हमराहीयान द्वारा मुखबिर की सूचना पर खीरीडीहा मोड़ के पास से वांछित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ गोलू यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी बैदरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को धारा 137(2) बीएनएस, 65(1) बीएनएस, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट के अपराध का बोध कराकर समय करीब 11:50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

#### \*सम्बन्धित मुकदमा-\*

01. मु0अ0सं0 334/2025 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

#### \*गिरफ्तार अभियुक्त-\*

01. जितेन्द्र उर्फ गोलू यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी बैदरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष

#### \*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\*

01. थानाध्यक्ष जयप्रकाश, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
02. का0 सद्दाम हुसैन, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
03. का0 सुधांशु सिंह, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
04. म0का0 नीतु शुक्ला, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

#### \*प्रेस-नोट\*

\*थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़\*

\*युवती का बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार\*

#### \*पूर्व की घटना/इतिहास-\*

दिनांक 06.03.2026 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में सूचना दी गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान अपहृता को दिनांक 08.03.2026 को सकुशल बरामद किया गया। अपहृता के बयान एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87, 64(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त मो0 कैफ पुत्र मो0 बकरीदू निवासी शिवली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

#### \*गिरफ्तारी का विवरण-\*

आज दिनांक 09.03.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह थाना हाजा से खाना होकर देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नीबी अंडरपास के पास से अभियुक्त मो0 कैफ पुत्र मो0 बकरीदू निवासी शिवली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को समय करीब 11:50 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

01. मो० कैफ पुत्र मो० बकरीदू निवासी शिवली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

01. मु०अ०सं० 81/2026 धारा 87, 64(1) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-\***

उ०नि० मुरारी मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

**\*प्रेस नोट दिनांक 09.03.2026\***

**\*थाना – साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़\***

**\*ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन, 5000 रू नगद व 01 चार पहिया वाहन बरामद\***

**\*डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में थाना – साइबर क्राइम, आजमगढ़ की कार्यवाही\***

**\*घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-\***

दिनांक 08.03.2026 को वादी मुकदमा अब्दुल्ला पुत्र मंसुर अहमद निवासी अली असद कालोनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा विपक्षियों मो० हारिस पुत्र एजाज अहमद, नाज खान पुत्री एजाज अहमद, मो० नदीम पुत्र अज्ञात, मो० फाजिल पुत्र अज्ञात, अशरफ पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम साहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत किया गया कि उपरोक्त आरोपियों ने क्यूटेक्स नामक गेमिंग/ट्रेडिंग एप के माध्यम से पैसा डबल कराने का झांसा देकर आवेदक के मोबाइल नम्बर को सोशल मीडिया ग्रुपों में जोड़ कर लिंक के माध्यम से आवेदक व उसके परीजनों के करीब 1.5 करोड़ रूपयों की साइबर धोखाधड़ी की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु०अ०सं०- 11/26 धारा 318 (4), 319 (2), 111 (4) BNS व 66 D IT ACT पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना दिनांक 09.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना देवेन्द्र प्रताप सिंह मय साइबर थाना टीम द्वारा उक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- मो० हारिस पुत्र एजाज अहमद ग्राम साहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, व 2- अबू फाजिल पुत्र मो० खालिद ग्राम साहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को सेमरहा से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 02 मोबाइल फोन, 5000 रूपये नगद, 01 पैन कार्ड, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1. मो० हारिस पुत्र एजाज अहमद ग्राम साहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष
2. अबू फाजिल पुत्र मो० खालिद ग्राम साहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

**\*बरामदगी-\***

02 अदद मोबाइल फोन (Android )

5000 रूपये नगद

1 अदद पैन कार्ड

1 अदद चार पहिया वाहन

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\***

प्र0नि0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

का0 एजाज खान, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

का0 सभाजीत मौर्य, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

का0 रामाश्रय यादव, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

का0 महिपाल यादव (चालक), थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

**\*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 09.03.2026 जनपद आजमगढ़\***

"ऑपरेशन कनविक्षन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में \*जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

→ दिनांक- 14.01.2009 को वादी मुकदमा उ0नि0 संतोष कुमार सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान \*अभियुक्त हरिशंकर सिंह पुत्र स्व0 बालेश्वर सिंह निवासी सहदेवापार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के कब्जे से 1000 डायजापाम की गोली बरामद होना।\*

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 136/2009 धारा-8/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ कुल 5 गवाह परीक्षित हुए।

→ जिसके क्रम में दिनांक- 09.03.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित \*अभियुक्त हरिशंकर सिंह पुत्र स्व0 बालेश्वर सिंह निवासी सहदेवापार थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

**\*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 09.03.2026 जनपद आजमगढ़\***

"ऑपरेशन कनविक्षन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर \*जेल में बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

\*थाना मेंहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।\*

→ दिनांक-12.04.1997 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष राम सेवक यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि \*अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद

आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।\*

→ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 109/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

→ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।

→ जिसके क्रम में दिनांक-09.03.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (मैगिस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित \*अभियुक्त देवनरायन यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी चौकी गन्जोर, थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि 13 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।\*

